न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्या:–60/2017 दायर दिनांक:–23.06.2017

जीसीएमएस नं. 2017/00138

हरिराम पुत्र हरहेत जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी ढिंढोरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

———सायल

बनाम

1. सूरजमल } पिसरान हरहेत
2. राधेश्याम } पिसरान हरहेत
3. पृथ्वी
4. घनश्याम
5. पप्पु
6. मुकेश उर्फ मकोल
7. मोना पुत्री हरीचरण

(1 से 7) जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी ढिंढोरा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली

8. सुफेदी बेबा हरीचरण
9. हरदेवी पुत्री हेरहेत पत्नी जगदीश जाति जांगिड ब्राहम्ण, निवासी फालनाबाद तहसील हिण्डौन जिला करौली
10. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:– 1. श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी अधिवक्ता सायल
2. श्री अशोक [illegible] अधिवक्ता गैरसायलान

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 14:53:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सायल व गैरसायल संख्या – 1 ता0 9 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनका सजरा (वंशवृक्ष)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

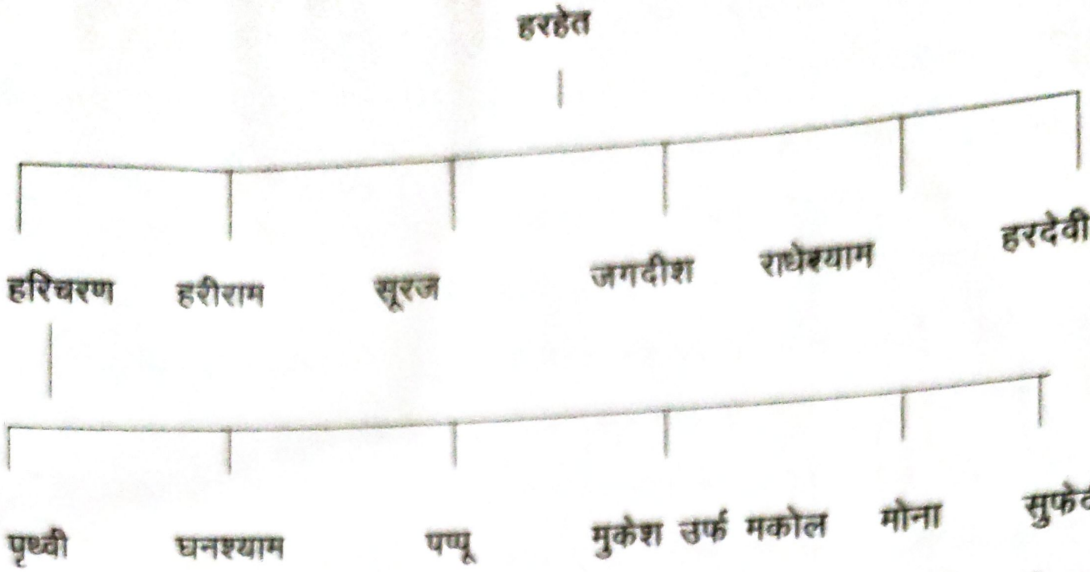

हरहेत

हरिचरण   हरीराम   सूरज   जगदीश   राधेश्याम   हरदेवी

पृथ्वी   घनश्याम   पप्पू   मुकेश उर्फ मकोल   मोना   सुफेदी

सायल का पिता हरहेत था जिसके कुल पांच लडके थे जिनमें सबसे बडा हरिचरण था जो फौत हो चुका है, उसके वारिसान गैरसायल संख्या–3 लगायत 8 हैं, दूसरा पुत्र सायल स्वयं है, तीसरा पुत्र सुरज गैरसायल सं. 1 है, चौथा पुत्र जगदीश लाऔलाद फौत हो चूका है जिसके जायज कानूनी वारिसान सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 9 है, पांचवा पुत्र राधेश्याम गेरसायल संख्या–2 है, तथा हरदेवी स्व. हरहेत की पुत्री है जिसका विवाह हो चुका है तथा वह वर्तमान में फालनाबाद निवास करती है।

स्व. जगदीश व गैरसायल संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी हाल खसरा न0 1912 रकबा 1.60 है0 वाके तन ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन स्थित है जिसमें स्व. जगदीश का 1/3 हिस्सा व गैरसायल संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा है। जगदीश फौत हो चुंका है जिसका हिस्सा 1/3 अर्थात 53.3 ऐयर उसके जायज कानूनी वारिसान सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 9 को विरासत में प्राप्त हुआ है। जगदीश के 1/3 हिस्से मे सायल का 1/5 अर्थात कुल आराजी में 1/15 हिस्सा सायल का है, शेष 1/15 हिस्सा गैरसायल संख्या 1 का, 1/15 हिस्सा गैरसायल संख्या 2 का तथा 1/15 हिस्सा गैरसायल संख्या 3 लगायत 8 का संयुक्त रूप से है तथा 1/15 हिस्सा गैरसायल संख्या 9 का है जिस पर सायल व गैरसायलान मौके पर काबिज है एवं काश्त कर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 14:53:50 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल संख्या 1 व 2 के मन में बेईमानी व फितुर उत्पन्न हो गया है, वे स्व. जगदीश की समस्त चल अचल सम्पति को हडप करना चाहते है, जबकि हिन्दू विरासत अधिनियम के अनसुार स्व. जगदीश की समस्त चल अचल सम्पति के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायल व गेरसायलान 1/5–1/5 हिस्से के अनुसार कानूनन खातेदार है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने एवं भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी है। स्व. जगदीश का अन्तिम संस्कार बारह ब्राहम्ण, गंगाजी ले जाने का कार्य सायल व समस्त गैरसायलान ने किया है। गैरसायल संख्या 1 ता 9 ने सायल के विरूद्ध एक समूह बना रखा है तथा आपराधिक षडयंत्र रचकर किसी न किसी प्रकार से सायल को उसके कानूनी हिस्से से महरूम करना चाहते हैं। इसी आशय से गैरसायलान ने गैरसायल संख्या 9 को सुसराल से ढिंढोरा बुलाया एवं उससे फर्जी तरीके से स्व. जगदीश पर 11 हजार रूपये कर्जा होना बता दिया, जिसकी कोई लिखा पढी नहीं थी फिर भी सायल व अन्य गैरसायलान ने उसे ब्याज सहित पैसा अदा किया। अब गैरसायल संख्या 1 ता 9 अन्य षडयंत्र रचने की फिराक में है एवं सायल का स्व. जगदीश द्वारा छोडी गयी चल अचल सम्पति में से हिस्सा देने से इंकार कर रहे है। दिनांक 12.06.2017 को गैरसायलान ने सायल का गांव बुलाकरकहा कि हम तुझे जगदीश के हिस्से की जमीन में से कोई हिस्सा नहीं देगे तथा उसके हिस्से को हम ही हडप करेंगे, हम फजी तरीके से दीगर व्यक्तियों का कर्जा जगदीश की तरफ बतायेंगे, जिसकी वजह से तुम हिस्से से महरूम हो जाओगे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथमत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायल स्वीकार किया जाकर गेरसायलान को दौराने दावा इस अम्र से पाबंद किया जावे कि आराजी हाल खसरा न0 1912 रकबा 1.60 है0 वाके तन ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन में स्व0 जगदीश के 1/3 भाग में से 1/5 भाग अर्थात कुल आराजीयात मे से सायल के 1/15 भाग के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में गैरसायलान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे, सायल को उक्त आराजीयात में से उसके हिस्से से बेदखल नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे, सायल के हिस्से की भूमि को किसी भी व्यक्ति को रहन–व्यय तथा ट्रांसफर नहीं करे, तथा [illegible] करने देवे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायल के अधिकारों [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 14:53:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1, 2, 9 की ओर से अशोक नीमनका अधिवक्ता जरिये वकालतन उपस्थित आये एवं जबाव प्रा0 पत्र पेश किया , गैरसायल 3 ता 9 की ओर से रामकांत शर्मा द्वारा उपस्थिति दी गयी जबाव पेश करने के कई अवसर

दिये जाने के बावजूद जबाव पेश नही करने पर जबाव बंद किया गया एवं गैरसायलान 10 बाबजूद सूचना उपिस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध आदेशिका दिनांक 8.7.2024 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2071–74, खाता संख्या 1115 ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को नकारते हुए सायल का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1912 रकवा 1.60 है0, वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ की खातेदारी सूरजमल , जगदीश प्रसाद , राधेश्याम पुत्र हरहेत राम जाति जांगिड ब्राह्मण सा.देह हिस्सा 3/4 , सूरज, जगदीश, राधेश्याम पिसरान हरहेत हिस्सा 1/4 जाति जांगिड ब्राह्मण खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1912 रकवा 1.60 है0, वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ में दर्ज खातेदार सायल एवं गैरसायलान रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है, जो दर्ज रिकार्ड है। जिनके अनुसार रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता तथा प्रत्येक रिकोर्डेड सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन संयुक्त खातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक–पृथक खाता कायम नहीं हो जावे। [illegible] गैरसायलान भी मुताविक जमाबन्दीरिकोर्डेड सहखातेदार [illegible] नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 14:53:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1912 रकबा 1.60 है0. वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 25.7.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 14:53:50 IST
Reason: SelfAttested